

एस0टी0एफ 50,000 /— का इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा थाना परसपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0—30/25, धारा 420,406,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित 50,000 /— रू0 के इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त मदन गुप्ता पुत्र विद्या प्रसाद गुप्ता नि0 ग्राम एमआईजी 212 के सेक्टर अयोध्या नगर हुजूरपुर थाना अयोध्यानगर भोपाल को जनपद महोबा के हरिपालपुर कस्बे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद एप्पल मोबाइल फोन, 02 अदद वीवो कम्पनी के मोबाइल फोन, 01 अदद कीपैड मोबाइल, 07 अदद डेबिड कार्ड एसबीआई, 01 अदद अमेरिकन एक्सप्रेस डेविड कार्ड, 01 अदद शस्त्र लाइसेंस की किताब मय 01 अदद रिवालवर 32 बोर मय 04 अदद कारतूस, 02 अदद लिनोवो कम्प्यूटर, 13 अदद चेकबुक व 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

अभियुक्त मदन गुप्ता अपने साथी अभियुक्त चन्दन दीक्षित व हरवीर सिंह उर्फ काके सरदार के साथ मिलकर थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत आटा दूबेपुरवा के रहने वाले सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी को मौरंग व बालू के खनिज का पट्टा दिलाने के नाम पर उनसे 50 लाख रूपयों की ठगी की गयी थी। वादी सुनील कुमार द्विवेदी की तहरीर पर थाना परसपुर में 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त मदन गुप्ता की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु दिनांक 11.04.2025 को 50,000 /—का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 15.04.2025 को एस0टी0एफ0 लखनऊ की टीम द्वारा 50,000 /—रू0 के इनामिया शातिर जालसाल अभियुक्त मदन गुप्ता पुत्र विद्या प्रसाद गुप्ता नि0 ग्राम एमआईजी 212 के सेक्टर अयोध्या नगर हुजूरपुर थाना अयोध्यानगर भोपाल को राठ से भोपाल जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद एप्पल मोबाइल फोन, 02 अदद वीवो कम्पनी के मोबाइल फोन, 01 अदद कीपैड मोबाइल, 07 अदद डेबिड कार्ड एसबीआई, 01 अदद अमेरिकन एक्सप्रेस डेविड कार्ड, 01 अदद शस्त्र लाइसेंस की किताब मय 01 अदद रिवालवर 32 बोर मय 04 अदद कारतूस, 02 अदद लिनोवो कम्प्यूटर, 13 अदद चेकबुक व 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मदन गुप्ता पुत्र विद्या प्रसाद गुप्ता नि0 ग्राम एमआईजी 212 के सेक्टर अयोध्या नगर हुजूरपुर थाना अयोध्यानगर भोपाल।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—30/25, धारा 420,406,467,468,471,504,506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 02 अदद एप्पल मोबाइल फोन।
02. 02 अदद वीवो कम्पनी के मोबाइल फोन।
03. 01 अदद कीपैड मोबाइल।
04. 07 अदद डेबिड कार्ड एसबीआई।
05. 01 अदद अमेरिकन एक्सप्रेस डेविड कार्ड।
06. 01 अदद लाइसेंसी रिवालवर 32 बोर मय 04 अदद कारतूस
07. 02 अदद लिनोवो कम्प्यूटर

08. 13 अदद चेकबुक ।

09. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार ।

अभियुक्त मदन गुप्ता का आपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—290 / 24, धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

02. मु0अ0सं0—231 / 24, धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना इन्द्रानगर लखनऊ ।

03. मु0अ0सं0—201 / 24, धारा 406,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ ।

04. मु0अ0सं0—13 / 24, धारा 34,420,406,506,467,468,471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना बाराबंकी ।

05. मु0अ0सं0—30 / 2025, धारा 420,467,468,471,504,506,406 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

06. मु0अ0सं0—609 / 24, धारा 376डी,506 भादवि 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना को0 उन्नाव जनपद उन्नाव ।

07. मु0अ0सं0—71 / 2025 धारा 406 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ ।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी एसटीएफ लखनऊ ।

02. हेड का0 उ0नि0 विद्यासागर ।

03. हे0का0 आलोक पाण्डेय ।

04. हे0का0 अमित सिंह ।

05. हे0का0 स्वरूप पाण्डेय ।

मीडिया सेल, गोण्डा ।

प्रेस नोट

दिनांक 16.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक को किया गया सकुशल बरामद—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-284/25, 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा परमेश उम्र 11 वर्ष को जीआरपी चाइल्ड लाइन प्रतापगढ से सकुशल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 14.04.2025 को वादी रामभगत पुत्र तिलकराम नि0 मोहल्ला गायत्रीपुरम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में सूचना दी गयी कि प्रार्थी का पुत्र परमेश उम्र 11 वर्ष दोपहर करीब 11 बजे दुकान पर जाने की बात कहकर घर से निकला था परन्तु अभी तक घर वापस नहीं आया। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 16.04.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा तकनीकी/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदा परमेश उम्र 11 वर्ष को जीआरपी चाइल्ड लाइन प्रतापगढ से सकुशल बरामद कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

बरामद कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राकेश कुमार।
02. हेड का0 सतवन्त शर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।